an>

Title: Need to amend Santhal Pargana Tenancy (SPT) and Chhotanagpur Tenancy (CNT) Acts.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिस जगह से आता हूं, वह संथाल परगना है। आज भी यहां 80 परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 75 परसेंट महिलाएं एनीमिक हैं, 75 परसेंट बच्चे कुपोÂाण के शिकार हैं। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो लगा था कि विकास होगा। विकास न होने के पीछे कारण दो कानून हैं, एक 1949 का संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और 1908 का छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। यह एक्ट 370 से भी ज्यादा कड़ा है क्योंकि भाई-भाई को जमीन नहीं बेच सकता है। हमारे यहां उस कानून के कारण समस्या आ रही है, सिंचाई के प्रोजेक्ट जैसे पुरासी योजना, बटेश्वर योजना, गुमानी योजना 40 साल से बंद पड़े हैं, हैं। शिक्षा के लिए सिद्धु कान्हु यूनिवर्सिटी बननी है, 1995 से आज तक हम उसकी बिल्डिंग तैयार नहीं कर पाए हैं। रेल प्रोजेक्ट मंदार हिल से दुमका 1995 से शुरु हुआ था, लेकिन बीस साल में भी पूरा नहीं हुआ है। अब झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार, महामहिम राÂाष्ट्रपति को प्रपोजल दिया है और कहा है कि सिंचाई के साधन, पीने के पानी, रोड, यूनिवर्सिटी, अस्पताल खोलने के लिए या पब्लिक यूटिलिटी के लिए भारत सरकार इजाजत दे ताकि हम इस एक्ट को चेंज कर पाएं और विकास कर पाएं।

मैं केवल इतनी जानकारी देना चाहता हूं कि 1934 में अंग्रेजों ने रुरसेल्ल कमेटी बनाई थी, इस कमेटी ने उस वक्त कहा था कि जो गैर आदिवासी हैं, उनको जमीन खरीदने और बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। हम अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' नीति के कारण पिछड़ गए हैं।

मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि झारखंड सरकार का एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट में संशोधन करने के लिए जो प्रपोजल आया है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और संशोधन करके भेज दें ताकि झारखंड इस देश का नंबर एक राज्य बन पाए।

माननीय अध्यक्ष:

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विÂाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।